

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 1(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक

—: आदेश :—

5 JAN 2015

डॉ० विष्णु कान्त, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 46/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.8.2037 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 702, मॉडल टाउन, मालवीयनगर जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

डॉ० नितिन दीप ब्लग्गन, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर को प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 39/2014 के आधार पर इस विभाग के आदेश संख्या प. 1(1)साप्र/2/2014 दिनांक 21.11.2014 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 702, मॉडल टाउन, मालवीयनगर जयपुर का आवंटन कब्जा नहीं लेने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेन्द्र कुमार खोचा
(महेन्द्र कुमार खोचा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर।
4. जिला कलकटर, जयपुर।
5. डॉ० विष्णु कान्त, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. डॉ० नितिन दीप ब्लग्गन, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज० जयपुर को आईडी संख्या 58 / M/GAD/14 दिनांक 30.12.2014 के क्रम में।
10. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर-शहर, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, साठनिविं०/जन स्वास्थ्यिं०/जयपुर विविं०निगम लिं०, गांधीनगर/मालवीय नगर, जयपुर।
14. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
15. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
17. सम्पन्न सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
18. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
20. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
21. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
22. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भट्टाचार)
शासन सहायक सचिव

